न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सं. 25/2016

प्रार्थीगण–

1. राणाराम पुत्र कालुराम
2. पूनमाराम पुत्र जेठाराम

जाति कुम्हार निवासी रोहीली

तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. स्व. सुरतसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति पुरोहित निवासी बावड़ी कला फोत जरिये विधिक वारीसान

1.1. टीलसिंह पुत्र सुरतसिंह

1.2. बंशीलाल पुत्र सुरतसिंह

1.3. दरिया देवी पत्नी भगसिंह

जाति पुरोहित निवासी बोथिया जागीर

तहसील व जिला बाड़मेर

2. तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व आवेदन पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 विरूद्ध भूमि आवंटन आदेश दिनांक 31.03.1964 व 11.06.1965 जिसके द्वारा मौजा बोथीया जागीर के खसरा नम्बर 275/74 व 280/74 में भूमि आवंटन की गई।

उपस्थिति :–

1. श्री सुनिल के मेराजा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री जेठमल जैन, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित।
3. राजकीय पैरोकार, अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 30.12.2019

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि भूमि आवंटन सलाहाकार समिति की बैठक दिनांक 31.03.1964 व 11.06.1965 के दौरान कृषि भूमि के आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों में अप्रार्थी सं. 1 के नाम ग्राम बोथिया जागीर के खसरा नम्बर 275/74 व 280/74 की रकबा

जिला कलक्टर
बाड़मेर

क्रमशः 15–00 व 55–00 बीघा किस्म बारानी सोयम भूमि आवंटन किये जाने की अनुशंषा एवं आवंटन आदेश के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत दिनांक 29.03.2016 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया हैं।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जवाब हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस प्रक्कथन एवं अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया।

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण को सुना एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आवंटी सुरतसिंह ने आवंटन सलाहाकार समिति के समक्ष भूमिहीन होने का गलत तथ्य पेश कर दो बार आवंटन करवा लिया था। अप्रार्थी सं. 1 सुरता उर्फ सुरतसिंह पुत्र पेमाराम पुरोहित मूल रूप से गांव बावड़ी वर्तमान राजस्व ग्राम बावड़ी कल्ला तहसील बाप जिला जोधपुर का निवासी था। वक्त सैटलमेंट राजस्व रेकर्ड में मौजा बावड़ी के खसरा नम्बर 696 रकबा 22–12 बीघा सुरतसिंह के नाम दर्ज हुई थी इसके अलावा खसरा नम्बर 355 रकबा 10–01 बीघा व खसरा नम्बर 404 रकबा 13–06 बीघा, खसरा नम्बर 616 रकबा 77–13 बीघा, खसरा नम्बर 629 रकबा 25–15 बीघा कुल रकबा 126–15 बीघा में 1/4 हिस्सा सुरतसिंह के नाम दर्ज हुई थी। सैटलमेंट के पश्चात सुरतसिंह बाड़मेर तहसील के बोथिया जागीर गांव में आकर बस गया एवं स्वंय को भूमिहीन बताकर तहसीलदार बाड़मेर से समक्ष स्वंय को भूमिहीन बताकर अपने नाम प्रथम आवंटन दिनांक 31.03.1964 व द्वितीय आवंटन दिनांक 11.06.1965 को करवा लिया। इस आवंटन के फलस्वरूप नामान्तरकरण सं. 24 व 60 के द्वारा करीब 70 बीघा भूमि का आवंटन सुरता उर्फ सुरतसिंह के नाम होकर खातेदारी में दर्ज हुई हैं। यह भी प्रकट किया कि अप्रार्थी को आवंटित भूमि मे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं किन्तु आवंटन कपट एवं दुर्व्यपदेशन द्वारा प्राप्त किये जाने से उसे खातेदारी का

जिला कलक्टर
बाड़मेर

कोई लाभ प्राप्त नही हो सकता हैं। अतः अप्रार्थी के पक्ष मे किया गया विधि विरूद्ध आवंटन खारिज कर भूमि राज्य सरकार के पक्ष मे लिये जाने का आदेश फरमाया जावें।

4. अप्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने जवाब मे निवेदन किया कि प्रार्थीगण गांव रोहिली के निवासी हैं तथा अप्रार्थीगण से रंजीश रखते है तथा अप्रार्थीगण को नुकसान पहुंचाने के लिये ईश्यावश यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थीगण द्वारा यह आवेदन पत्र लगभग 55–56 वर्षों की लम्बी समयावधि के बाद प्रस्तुत किया गया हैं तथा आवंटन के पश्चात स्व. सुरतसिंह को खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो गये है। स्व. सुरतसिंह बावड़ी कला के निवासी थे तथा वहां उनकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त खराब होने के कारण अपने ससुराल बोथिया जागीर में आकर बस गये थे तथा उनके भरण–पोषण हेतु राजस्व अधिकारियों द्वारा भूमि आवंटन की गई थी। अप्रार्थी सुरतसिंह को भूमि आवंटन के विरूद्ध प्रार्थीगण किसी प्रकार से प्रभावित पक्षकार नहीं है जिन्हे इस प्रार्थना पत्र के द्वारा किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं हो सकता हैं। स्व. सुरतसिंह के नाम ग्राम बावड़ी कला में आई हुई भूमि संयुक्त खातेदारी मे 31–00 बीघा आती थी जो कई सारे खातेदार होने से उसे काश्त करने नहीं देते थे तथा खसरा नम्बर 696 की रकबा 22–12 बीघा भूमि कृषि योग्य नहीं होने एवं सुरतसिंह की कमजोरी का फायदा उठाकर अतिचारियों ने दबा दिया था। इनत माम कारणों से सुरतसिंह अपना मूल निवासी स्थान छोड़कर बोथिया जागीर में आकर बस गये थे। वर्तमान में स्व. सुरतसिंह के हिस्से की दर्ज भूमि का अप्रार्थीगण के साथ नोशनल शेयर गणना में 18–18 बीघा ही आती हैं, ऐसे स्व. सुरतसिंह के नाम आवंटित भूमि को 45–46 वर्षों के बाद आवंटन निरस्त करना न्यायसंगत नही हैं तथा अप्रार्थीगण का परिवार सड़क पर आ जायेगा। अतः प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र सारहीन होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर राजस्थान

जिला कलक्टर
बाड़मेर

5. हमने दोनो पक्षों की ओर से प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में मुख्य बिन्दु यह हैं कि आवंटी सुरतसिंह द्वारा कपट या दुर्व्यपदेशन के द्वारा आवंटन कराया है, क्योंकि उसके नाम जिला जोधपुर में 22–00 बीघा एकल एवं करीब 31–00 बीघा भूमि संयुक्त खातेदारी के अन्तर्गत हिस्से में आती थी। इसके बावजूद भी उसके द्वारा दो बार आवंटन कराया हैं। इस प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रार्थीगण द्वारा जमाबन्दी की प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं। अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया गया कि हैं कि यह प्रार्थना पत्र असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है, जिस पर किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना विधिसंगत नही हैं। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक निर्णय नजीर आरआरटी 2016–17(सप्ली.) पेज 304 एवं आरआरटी 2007(2) पेज 1430 प्रस्तुत की गई, जिसका अवलोकन किया गया। उक्त निर्णय नजीर के पद सं. 7 में माननीय न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि–

"माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय एआईआर 1994 पेज 1128 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया हैं कि यदि कोई आवंटन अनियमित भी हुआ हो तो भी इतनी लम्बी अवधि के आवंटन को निरस्त करना न्याय के साथ खिलवाड़ (Travesty of Justice) है। यह मामला बहुत पुराना हैं और इतने पुराने मामले में 40 वर्ष बाद खातेदारी काश्तकार से अधिक भूमि काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही किये बिना वापस लेने का निर्णय बहुत कठोर निर्णय होगा।"

मननीय राजस्व मण्डल द्वारा उपरोक्त निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त का आलम्ब लेते हुए जो निर्धारित किया गया हैं वह हस्तगत प्रकरण में भी लागू होता हैं तथा प्रार्थीगण द्वारा आलौच्य आवंटन आदेश को करीब 50 वर्ष बाद चुनौती दी है जो अप्रार्थीगण सं. 1 को खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो जाने के बाद अब निरस्त किया जाना न्यायसंगत नही हैं। इसके अलावा प्रार्थीगण इस आवंटन से किस प्रकार हितबद्ध पक्षकार हैं इसका कोई उल्लेख प्रार्थना पत्र में नहीं किया गया हैं।

इस प्रकार लगभग 50 वर्ष पूर्व आवंटन हुआ है जिसे अब इतने लम्बे अंतराल के बाद जब उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है, निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता हैं। लिहाजा उभय पक्षकारान की ओर से प्रकट तथ्यों पर मनन उपरांत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के उपरांत प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र सरहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाता हैं।

7. निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2020.01.23 11:27:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: